कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3883 /12-1 दिनांक, मसूरी 27, –03–2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

विषय :– **जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.975 है0 वन भूमि, का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– आपकी पत्र सं0 1310/12–1(1), दिनांक 26–12–2016।

विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर उक्त सन्दर्भित पत्र / ईडी0एस0 दिनांक 26–12–2016 द्वारा प्रस्ताव में पाई गयी निम्न कमियों का निराकरण करते हुए प्रस्तावक विभाग द्वारा वांछित सूचनाऐं /अभिलेख अपने पत्र सं0 294/2सी0 दिनांक 17–03–2017 (प्रति संलग्न) द्वारा आनलाईन एंव हार्ड प्रति इस कार्यालय को आॅनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र में इंगित बिन्दु सं0 01 से 03 तक की वांछित सूचनाऐं /अभिलेख आनलाईन कर तत्संबंधी अभिलेख/दस्तावेजों की हार्ड प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नवत् संलग्न प्रेषित है:–

1. प्रस्तावक /लो0नि0वि0 द्वारा Forest Rights Act 2006 के तहत् जिलाधिकारी द्वारा निर्गत Settlement of right के आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा यथास्थान ऑनलाईन अपलोड किया गया है। उक्त प्रमाण–पत्रों की हार्ड प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
2. आन लाईन पार्ट–I के बिन्दु सं0 L(IV) g में राजस्व विभाग व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य MOU/agreement जिसमें वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में आवंटित किये जाने की सहमति सम्बन्धी Copy of MOU/agreement executed between the Present owner and the User Agency का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा यथास्थान ऑनलाईन अपलोड किया गया है। उक्त प्रमाण–पत्र की हार्ड प्रति संलग्न प्रेषित हैं।
3. आन लाईन पार्ट–I के बिन्दु सं0 L(IV) h में प्रत्यावर्तन होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में आवंटित किये जाने की सहमति सम्बन्धी चिन्हित सिविल सोयम भूमि को आवंटित होने वाली भूमि पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद अथवा कब्जा आदि न होने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र Copy of non encumbrance certificate को प्रस्तावक विभाग द्वारा यथास्थान ऑनलाईन अपलोड किया गया है। उक्त प्रमाण–पत्र की हार्ड प्रति संलग्न प्रेषित हैं।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3883 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड़, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढ़वाल) को उनके पत्र सं0 294/2सी0 दिनांक 17–03–2017 के क्रम में।

(डा0 साकेत बडोला भा.व.से.)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक 294 /21सी0 दिनांक 17/03/2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय :— जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लोक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग लम्बाई 05 कि0मी0 के निर्माण हेतु आपेक्षित 2.975 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक 2062/12—1 दिनांक मसूरी 27.12.2016 तथा वन संरक्षक यमुना वृत देहरादून का पत्रांक 1310/12—1 (1) दिनांक 26.12.2016 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना हे कि वन संरक्षक यमुना वृत देहरादून द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग पर लगयी गयी आपत्तियो का निराकरण निम्न प्रकार कर आपको प्रेषित किया जा रहा है—

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी द्वारा निर्ग त आवश्यक प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. ऑन लाइन पार्ट 1 के बिन्दू संख्या **L(IV)(g)** में **COPY OF MOU / Agreement Executed Between the present owner and the user agency** का प्रमाण पत्र ऑन लाइन अपलोड़ कर दिया गया है।
3. ऑन लाइन पार्ट 1 के बिन्दू संख्या **L(IV)(h)** में **COPY OF non encumberence certificate** का प्रमाण पत्र ऑन लाइन अपलोड़ कर दिया गया है।

सलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

मसूरी वन प्रभाग
प्राप्ति संख्या 7623
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 28/3/17
शाखा

17/03/17

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

पत्रांक /21सी0 दिनांक / /2017

प्रतिलिपि :— 1. सहायक अभियन्ता चतुर्थ अस्थाई खण्ड़ लो0नि0वि0, थत्यूड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल–श्रीपुर मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– भरवाकाटल
तहसील :– धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के भरवाकाटल–श्रीपुर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 है0 आरक्षित वन भूमि 1.3125 है0 सिविल सोयम भूमि 1.662 है0 वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात् कुल 2.975 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भरवाकाटल द्वारा दिनांक 18-5-15 को सम्पन्न उपरोक्त ग्रम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सोहन दास सोहनदास
धन सिंह
भवान सिंह भवानसिंह
हिरा सिंह Hiral
राम दयाल
दिनेश्वर मिश्री दिनेश

ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत भरवाकाटल
जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

Photocopy Attested.

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)

Form -4 Bachan P W D Thatyur (Rakesh)

FORME -I

(For projects other than linear project)

Government of Uttrakhand
No. -----

Office of District Collector Tehri Garhwal
Date 7-6-2016...

TO WHO WSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india lellter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issuedguidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Fights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted in favour of Excutive Engineer Ty. Division P.W.D Thatyur T.G. (name of user agency) for construction of **Bharwakatal to Shripur Motor road** Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of **Bharwakatal, Shripur** Village(s) in Dhanolty, Tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.975 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committee(s), gram Sabha(s) Sub - Division leavel committee are enclosed as annexure ------ to ---- annexure------

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grams Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

Eucl: As above

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

District Collector Cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

It is Further certified that Minutes fo mee **Bharwakatal to Shripur Motor road** scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 2.975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection cerfificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

अखिलेश उनियाल
जिला पंचायत सदस्य
सदस्य जिला पंचायत टि०ग०
टिहरी गढ़वाल
वार्ड संख्या 10 (भुत्सी)

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
मसूरी।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTARAKHAND

PROCEEDING OF THE MEETING OF THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE CONSTITUTED UNDER SCHEDULE TRIBES & OTHER TRADITIONAL FORES DWELLERS (RECOGNITION OF RIGHTS) ACT (FRA) 2006

A meeting of the district level committee Tehri Garhwal district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Jyoti Neeraj Khairwal I.A.S. District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring 2.975 Hectare for the construction of Bharwakatal To Shripur Motor Road in Tehsil Dhanaulti of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

District Collector Cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

<u>प्रपत्र – 23</u>

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल–श्रीपुर मोटर मार्ग ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण (2.975 है0 आरक्षित वनभूमि 1.3125 है0, सिविल सोयम भूमि 1.662 है0 कुल भूमि 2.975) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अंन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी) के 26-11-2015 दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री के० पी० वर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री शूर सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्रीमती मीना देवी पंवार	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.975 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

जानकारी कसे माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

श्रीमती मीना देवी पंवार
सदस्य क्षेत्र पंचायत भरवाकाटल
वि०ख० जौनपुर टि०ग०

उप प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]
[illegible]

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

NON ENCUMBRENCE CERTIFICATE

परियोजना का नाम– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग से भरवाकाटल श्रीपुर मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यार्वतन प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है की जनपद टिहरी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग से भरवाकाटल श्रीपुर मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के नव निर्माण हेतू 2.975 है0 का दुगना क्षेत्रफल 6.391 है0, भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू प्रत्यार्वतित करनी है, जिसका खसरा नं0 2028, 2034 एवं 2163 ग्राम ल्वार्खा में कुल भूमि 6.391 है0, जिसे वन विभाग को प्रत्यार्वतित करने हेतू चयन किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगतनीय है कि चयनित भूमि वन से आच्छादित नही है। उक्त भूमि इस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी परियोजना हेतु आवंटित नही की गयी है एवं उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की नही है। उक्त भूमि में कोई मन्दिर, मजिस्द या अन्य कोई धार्मिक स्थल भवन, पनघट, शमशान घाट, ऐतिहासिक स्मारक, वन्य अभ्यारण, एवं आदिवासी जनजाति का निवास स्थल नही है। चयनित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद अथवा कब्जा नही है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 थत्यूड

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 थत्यूड

तहसीलदार
धनोल्टी

उप जिलाधिकारी
धनोल्टी

परियोजना का नाम– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग से भरवाकाटल श्रीपुर मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यार्वतन प्रस्ताव ।

सी0 ए0 लैण्ड हेतु लैण्ड ऑनर एवं यूजर एजेन्सी के मध्य एग्रीमेन्ट

प्रमाणित किया जाता है की जनपद टिहरी गढवाल में विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग से भरवाकाटल श्रीपुर मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के नव निर्माण में प्रभावित वृक्षो के क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य स्कीम हेतू चयनित स्थल ग्राम ल्वार्खा में कुल भूमि 6.391 है0 सिविल सोयम भूमि को प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि इस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी परियोजना हेतु आवंटित नही की गयी है एवं आवयश्कता अनुसार उपल्बध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 थत्यूड

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 थत्यूड

राजस्व उपनिरक्षक,
ल्वार्खा

तहसीलदार
धनोल्टी

उप जिलाधिकारी
धनोल्टी